छ.ग. शासन द्वारा मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन

कार्यालय-प्लॉट नं. ओ/6, दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.) 492014

Email : cgfederation2019@gmail.com

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्टर्ड

(पंजीयन क्रमांक-122202017067 रायपुर दिनांक 16/01/2020)

सुभाष मिश्र
संरक्षक
मो.नं.-9425203900

कमल वर्मा
प्रांतीय संयोजक
प्रदेश अध्यक्ष - छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ
मो.नं.-9425509920, 7974388672

पत्र क्र. छ.ग.क.अ.फे./.....726

रायपुर, दिनांक ..13/11/2025

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

माननीय श्री ओ. पी. चौधरी जी
मंत्री, वित्त विभाग
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

विषयः राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों एवं अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए बिहार सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते हेतु पृथक बजट प्रावधान किए जाने के संबंध में।

संदर्भ : वित्त विभाग, बिहार सरकार पत्रांक–ब15/बी.एस.जी.–221/2025– 831/वि. दिनांक 10.11.2025।

...00...

महोदय,

सविनय निवेदन है कि बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों एवं अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को केंद्र सरकार से जैसे ही महंगाई भत्ते स्वीकृत किए जाते हैं, उसके कुछ ही दिनों पश्चात राज्य सरकार द्वारा भी समान दर पर महंगाई भत्ते स्वीकृत कर दिए जाते हैं। इस व्यवस्था हेतु बिहार सरकार अपने वार्षिक बजट में इन वर्गों के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में पृथक से बजट प्रावधान करती है।

बिहार सरकार द्वारा इस संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए समस्त विभागों को बजट तैयार कर वित्त विभाग को उपलब्ध काने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न है।

छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसी प्रकार की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य के शासकीय सेवकों, पेंशनरों एवं अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को समय पर महंगाई भत्ते का लाभ प्राप्त हो सके। यदि आगामी मुख्य बजट में बिहार सरकार की भांति महंगाई भत्ते के लिए पृथक बजट प्रावधान किया जाए, तो भविष्य में महंगाई भत्ते की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब नहीं होगा तथा कर्मचारियों को इसके लिए आंदोलन या आग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार का यह कदम शासकीय सेवकों के हित में सराहनीय एवं प्रशंसनीय होगा।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 125 मान्यता प्राप्त एवं गैर–मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, राज्य शासन से अनुरोध करता है कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में उक्त विषय पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए आगामी मुख्य बजट में महंगाई भत्ते हेतु पृथक बजट प्रावधान किए जाने की कृपा करें।

आपकी सकारात्मक पहल की अपेक्षा सहित,

सधन्यवाद,

भवदीय,
13/11/2025
(कमल वर्मा)
प्रांतीय संयोजक
प्रदेश अध्यक्ष – छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक- ब15/बी०एस०जी०-221/2025-831/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रचना पाटिल, भा0प्र0से0
सचिव (व्यय)

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/सभी नियंत्री पदाधिकारी।
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 10.11.2025

विषयः- **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश।**

प्रसंगः- **वित्त विभागीय पत्रांक-742, दिनांक-22.09.2025 ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्राक्कलन तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार कर दिनांक- 20.10.2025 तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है ।

2. उक्त वित्त विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप कतिपय विभागों द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन की हार्ड प्रति संचिका के माध्यम से वित्त विभाग को उपलब्ध करायी है । परन्तु, अबतक किसी विभाग द्वारा उक्त बजट प्राक्कलन की सॉफ्ट प्रति सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

3. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन के तैयारी की यह प्रारंभिक चरण है तथा इसके उपरान्त कई चरण यथा - स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के निर्धारण हेतु बैठक, निर्धारित राशि की प्रविष्टि, राज्य के संसाधन का अनुमान, प्राप्तियों की प्रविष्टियां, उद्व्यय हेतु उपलब्ध राशि का निर्धारण, उद्व्यय के अनुरूप स्कीम बजट की प्रविष्टियां, मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के उपरान्त बजटीय पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं बिहार विधान मंडल में बजट पुस्तिकाओं के उपस्थापन आदि को पूर्ण किया जाना होता है। इन चरणों के सम्पादन हेतु अत्यंत अल्प समयावधि होती है ।

Scanned with OKEN Scanner

4. अतः अनुरोध है कि प्रासंगाधीन पत्र में निहित दिशा-निर्देश के अनुरूप निर्धारित विहित प्रपत्रों में सभी सूचनाओं एवं आंकड़ों की प्रविष्टि CFMS 2.0 में करते हुए बजट प्राक्कलन की हार्ड प्रति **दिनांक-15.11.2025** तक बजट शाखा, वित्त विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन के सी.एफ.एम.एस. में प्रविष्टि अथवा वित्त विभाग को प्रेषण के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में विभागीय एडमिन के यूजर आई.डी. के साथ बजट शाखा अथवा श्री दीपक कुमार (मो० नं०-9430247980), टी.सी.एस. प्रतिनिधि से सम्पर्क किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन

10.11.25

(रचना पाटिल)

सचिव(व्यय)।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2022-10545/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:– 06-10-2025

विषयः– सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०–5780/वि०, दिनांक–21/05/2025 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01/01/2025 के प्रभाव से 55% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 55% से बढ़ाकर 58% किये जाने की मंजूरी दी गई है

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे–मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले

Scanned with OKEN Scanner

रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2022 –10545/**वि०** पटना, दिनांकः–06-10-2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2022 –10545/**वि०** पटना, दिनांकः–06-10-2025

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.10.25

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2022 –10545/**वि०** पटना, दिनांकः–06-10-2025

प्रतिलिपिः–**महानिबंधक**, उच्च न्यायालय, पटना/**सचिव**, बिहार विधान सभा/**सचिव,** बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान

Scanned with OKEN Scanner